भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 73
जिसका उत्तर सोमवार, 18 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

वाहन वापस बुलाने की नीति

73. श्री अहमद हसन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वाहनों के सुरक्षा मानदण्डों को पूरा न करने के कारण हल्के चौपहिया वाहनों के सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने सुरक्षा मानदण्डों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों के लिए कोई अनिवार्य वाहन वापस बुलाने की नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में सुरक्षा कमियों के कारण वापस बुलाए गए वाहनों की संख्या और ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (ख): जी नहीं, इस विभाग द्वारा इस संबंध में ऐसा कोई अध्ययन आरंभ नहीं किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इन सभी पहलुओं पर लगातार अध्ययन करता है।

(ग) से (ङ): वाहनों के लिए कोई अनिवार्य वाहन वापस बुलाने की नीति नहीं है। तथापि, हाल के मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) 2019 में वाहनों को वापस बुलाने के लिए नया उपबंध जोड़ा गया है। जैसाकि भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी संघ (एसआईएएम) द्वारा अनुरक्षित ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा स्वैच्छिक रूप से वापस बुलाए वाहनों की विस्तृत सूची भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट www.dhi.nic.in पर “related link” के तहत उपलब्ध है।

******